# राजस्थान सरकार
## गोपालन विभाग

क्रमांक :एफ.वी.4(5)निगो/प्लान/ब.घो./गो.वि.यो./2018/ दिनांक :

### संशोधित परिपत्र

**गौ संरक्षण एवं संवर्द्धन निधि नियम, 2016 से सृजित निधि से राज्य के गौशालाओं में स्थायी आधारभूत परिसम्पतियों के निर्माण हेतु गौशाला विकास योजना के अन्तर्गत सहायता राशि के वितरण हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 में निम्न प्रकार दिशा–निर्देश जारी किये जाते हैः–**

1. **लाभांवित होने वाली संस्थाओं की पात्रता :–**
   - i. ऐसी गौशालाऐं जिनके पास स्वयं के स्वामित्व की भूमि अथवा सक्षम स्तर से स्वीकृति प्राप्त लीज (न्यूनतम 20 वर्ष) की भूमि उपलब्ध हो।
   - ii. गौशालाओं में आधारभूत संरचनाओं के निर्माण कार्य हेतु कम से कम 100 गौवंश का विगत दो वर्ष की अवधि से लगातार संधारण किया जा रहा हो,
   - iii. ऐसी गौशालाऐं जिनके विरूद्ध कोई वित्तिय अनियमितता/गबन का प्रकरण विचाराधीन नहीं हो।
   - iv. जो गौशालाएं आत्मनिर्भर एवं स्वावलम्बी बनने हेतु स्वयं के संसाधन विकसित करने हेतु उत्सुक हो।
   - v. Computer पर online सूचना आदान प्रदान करने हेतु जो गौशालाऐं तैयार हो।
   - vi. गौशालाओं में योजनान्तर्गत चाही गयी आधारभूत परिसम्पतियों का पूर्व में निर्माण नही होना चाहिऐ। परन्तु गौशालाओं में गौवंश संख्या के आधार पर आधारभूत परिसम्पतियां कम पड़ रही हो, तो आवश्यकता के आधार पर निर्माण कार्य करवाने के लिए गौशाला पात्र होगी।
   - vii. राजस्थान गौशाला अधिनियम 1960 या राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1958 या तत्समय प्रर्वत विधि के अधीन पंजीकृत गौशालाएं।
   - viii. विशेष परिस्थितियों में जिला स्तरीय गोपालन समिति से अनुमोदित/अनुशंषित संस्थाएं।

2. **संस्थाओं के चयन की प्रक्रिया :–**
   - i. जिन संस्थाओं में पूर्व में किसी भी स्त्रोत से राजकीय अनुदान/सहायता प्राप्त नही की है, को प्राथमिकता दी जायेगी।
   - ii. ऐसी संस्थाऐं जो आर्थिक स्तर पर सुदृढ़ नही है, को चयन में प्राथमिकता दी जायेगी।
   - iii. ऐसी संस्थाऐं जो गौवंश सह–उत्पाद के निर्माण व विक्रय के माध्यम से स्वावलम्बी बनने की वचनबद्धता प्रदर्शित करती है, को प्राथमिकता दी जायेगी।
   - iv. यदि निदेशालय को लाभान्वित होने वाली संस्थाओं के अत्याधिक आवेदन प्राप्त होते है, तो स्थायी आधारभूत संरचना निर्माण हेतु मदवार दी जाने वाली सहायता को विभक्त कर अधिक से अधिक संस्थाओं को लाभान्वित करने का प्रयास किया जायेगा। उदाहरण के लिए यदि एक संस्था ने पानी की खेली, चारा खेली, खरन्जा निर्माण, चारागृह निर्माण सहित 04 मद के लिए सहायता चाही है, तो अधिक आवेदन प्राप्ति की स्थिति में संस्था को किन्ही दो या तीन मद में सहायता स्वीकृत कर शेष अन्य संस्थाओं को लाभान्वित करने का प्रयास किया जायेगा। श

3. **सहायता राशि की शर्तें :–**
   - i. गोपालन विभाग द्वारा गौ संरक्षण एवं संवर्धन निधि के अन्तर्गत गौशाला को स्थायी आधारभूत संरचना निर्माण हेतु सहायता दी जायेगी।
   - ii. **विभाग द्वारा गौशालाओं को 90 प्रतिशत सहायता राशि दी जायेगी। शेष 10 प्रतिशत राशि गौशालाओं द्वारा स्वयं के स्तर से वहन की जायेगी।**

iii. **गौशाला प्रबन्धन द्वारा कार्यकारी संस्था का चयन कर तथा उसकी सहमति प्राप्त करने के उपरान्त 10 प्रतिशत राशि संबंधित कार्यकारी संस्था के खाते में जमा करवकार इसकी प्रति निदेशालय गोपालन को प्रस्तुत करनी होगी अथवा गौशाला द्वारा वहन की जाने वाली 10 प्रतिशत राशि का निर्माण कार्य करवाकर उसका प्रमाणन/मूल्यांकन संबंधित कार्यकारी ऐजेन्सी से करवाकर निदेशालय गोपालन में प्रस्तुत करनी होगी।**

iv. सृजित होने वाली परिसम्पत्तियों का स्वामित्व राज्य सरकार में निहित होगा। इन परिसम्पत्तियों का बेचान/हस्तान्तरण/खुर्दबुर्द किसी भी परिस्थिति में राज्य सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जा सकेगा।

v. गौसंरक्षण एवं संवर्धन निधि नियम, 2016 के नियम 7(V) के अंतर्गत निषिद्ध किये गये कार्यों पर निधि की राशि व्यय नहीं की जा सकेगी।

vi. योजनान्तर्गत देय राशि केवल नवीन निर्माण कार्य हेतु ही स्वीकृत की जायेगी।

vii. स्वीकृत एवं प्रारम्भ किये गये निर्माण कार्य का नाम, विवरण, लागत राशि, निधि से स्वीकृत राशि, कार्य अवधि आदि के विवरण का एक बोर्ड सम्बन्धित गौशाला के मुख्य प्रवेश द्वार पर लगाना अनिवार्य होगा।

viii. गौशाला में संधारित गौवंश की संख्या का सत्यापन निर्धारित **प्रपत्र–"1"** में सम्बन्धित जिला कलक्टर द्वारा तहसीलदार/नायब तहसीलदार/विकास अधिकारी या अन्य अधिकारी तथा पशुपालन विभाग के पशु चिकित्सा अधिकारियों के माध्यम से कराया जा सकता है।

4. <u>योजना के अन्तर्गत स्थायी आधारभूत व पक्के निर्माण कार्य</u> :–

- शेड या गौ–आवास निर्माण।
- चारा भण्डार गृह।
- पानी की खेली निर्माण।
- चारा ठांण निर्माण।
- पानी की टंकी/टांका निर्माण।
- बाड़े/शेड़ के अन्दर खरन्जा निर्माण (खड़ी ईटों का)।
- गोपालक आवासगृह का निर्माण।

5. <u>योजना की क्रियान्वयन एजेन्सी</u> :–

आधारभूत संरचनाओं का निर्माण पात्र गौशालाओं निमांकित संस्थाओं में से किसी एक संस्था के माध्यम से करवाया जा सकता है :–

- ग्राम पंचायत।
- पंचायत समिति।
- कृषि विपणन बोर्ड।
- राजस्थान राज्य सड़क विकास निगम।
- स्वच्छ परियोजना।
- शहरी निकाय संस्थाऐं – नगर पालिका/ नगर परिषद

6. <u>आवेदन एवं स्वीकृति जारी करने की प्रक्रिया</u>:–

i. गौशाला को कौनसा निर्माण कार्य कराना है यह गौशाला प्रबन्धन द्वारा स्वयं ही आवश्यकता के आधार पर तय किया जाकर कार्य का प्रस्ताव व कार्यकारी संस्था जिसके माध्यम से निर्माण कार्य करवाया जाना है, का चुनाव कर, संबंधित कार्यकारी संस्था द्वारा निर्माण कार्य किये जाने का सहमति पत्र आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर एवं निर्माण का तकमीना संबंधित कार्यकारी संस्था के कनिष्ठ/सहायक अभियन्ता से तैयार करवाकर व मय स्वयं के स्वामित्व की भूमि की

जमाबन्दी के साथ जिला संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग के माध्यम से निदेशक, निदेशालय गोपालन, राज. जयपुर को निर्धारित आवेदन प्रपत्र व शपथ पत्र में प्रस्तुत करना होगा।

ii. आवेदित गौशाला को आवेदन प्रपत्र, सादे कागज पर अध्यक्ष/सचिव/कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो द्वारा हस्ताक्षरित शपथ पत्र, स्वयं की भूमि की जमाबन्दी की प्रति, प्रस्तावित निर्माण कार्य का तकमीना एवं निर्माण कार्य करने वाली कार्यकारी संस्था का निर्माण हेतु सहमति पत्र सक्षम अधिकारी से हस्ताक्षरित करवाकर निदेशालय गोपालन को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। उपरोक्त दस्तावेज के अभाव में गौशालाओं के आवेदन को अपूर्ण मानते हुए विचार किया जाना संभव नहीं होगा।

iii. निदेशालय गोपालन द्वारा अनुमोदित गौवंश के लिए शैड, गोपालक आवास गृह, चारा भण्डार गृह, पानी का टांका, पानी की खेली, चारे की ठांण, बाड़े में खरन्जा निर्माण का तकमीना प्रारूप व अधिकतम स्वीकृत दर **परिशिष्ट – 3** पर उल्लेखित है।

iv. योजनान्तर्गत गोपालक आवास गृह, चारा भण्डार गृह, पानी का टांका, पानी की खेली, चारे की ठांण, बाड़े में खरन्जा निर्माण एक से अधिक भी स्वीकृत किया जा सकता है।

**v. लाभार्थी गौशाला द्वारा इस योजनान्तर्गत सहायता प्राप्त करने हेतु आवेदन निदेशालय गोपालन को केवल एक बार ही प्रस्तुत किये जा सकेगे। राज्य की अधिकतम गौशालाओं को लाभान्वित करने के उद्देश्य से इस योजनान्तर्गत यदि गौशाला द्वारा सहायता प्राप्त कर ली जाती हैं तो उक्त गौशाला के अन्य निर्माण कार्य हेतु द्वितीय आवेदन पर विचार नही किया जायेगा।**

**vi. निदेशालय गोपालन द्वारा जिले के समस्त प्रस्तावों को प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त करने हेतु सक्षम स्तर पर प्रस्तुत किया जायेगा। गौशालाओं में किये जाने वाले आधारभूत परिसम्पति के निर्माण कार्य की प्रशासनिक विभाग से अनुमोदन पश्चात गोपालन विभाग द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जायेगी।**

**vii. संबंधित कार्यकारी एजेन्सी द्वारा पात्र गौशाला में किये जाने वाले निर्माण कार्य की तकनीकी स्वीकृति (TS) जारी की जायेगी, जिसके आधार पर गोपालन विभाग द्वारा गौशालाओं में आधारभूत परिसम्पतियों का निर्माण हेतु संबंधित कार्यकारी एजेन्सी को वित्तीय स्वीकृति जारी की जायेगी।**

**viii. योजनान्तर्गत एक गौशाला को निर्माण कार्य हेतु अधिकतम 10 लाख रूपये सहायता राशि स्वीकृत की जा सकती है।**

ix. यदि गौशाला प्रबन्धन तय सीमा के अतिरिक्त निर्माण कार्य करवाना चाहता है तो कार्य को चिन्हित कर गौवंश की संख्या के आधार पर निर्धारित अधिकतम प्रावधित राशि की सीमा से अधिक राशि का वहन स्वयं को करना होगा तथा अनुमत कार्यों का तकमीना एवं ड्राईंग कार्यकारी एजेन्सी के कनिष्ठ/सहायक अभियन्ता से तैयार करवाकर निदेशालय गोपालन को प्रस्तुत करना होगा।

x. इस योजना के साथ गौशालाएं अन्य प्रचलित योजनाओं जैसे गुरू गोलवलकर जन सहभागिता योजना, मनरेगा, सांसद एवं विधायक कोष आदि का लाभ भी ले सकेगी परन्तु एक ही निर्माण पर दो जगहों से वित्तीय स्वीकृति एवं राशि किसी भी स्थिति में स्वीकृत नहीं की जायेगी।

xi. योजना में यथासंभव ऐसे कार्य लिये जावेंगे जो उसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण हो जाये।

xii. जिला स्तरीय गोपालन समिति तथा गोपालन निदेशालय द्वारा नामित लेखा परीक्षण दल या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त अधिकृत राजकीय संस्थान गौशाला के लेखो एवं वित्तीय अभिलेखों का कभी भी निरीक्षण एवं ऑडिट करा सकेगी।

xiii. योजनान्तर्गत निर्माण करने वाली संबंधित कार्यकारी संस्था के सहायक/कनिष्ठ अभियन्ता एवं क्षेत्र के विकास अधिकारी द्वारा समय–समय पर गौशालाओं में किये जा रहे निर्माण कार्यो का निरीक्षण कर जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष, जिला गोपालन समिति को निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे तथा निरीक्षण रिपोर्ट की प्रति निदेशालय गोपालन को भी प्रस्तुत की जावेगी।

7. <u>सहायता राशि का उपयोग, मोनिटरिंग एवं उत्तरदायित्व</u> :–

i. **गौसंरक्षण एवं संवर्धन निधि नियम, 2016 के नियम 9 के अन्तर्गत गठित निम्न जिला स्तरीय गोपालन समिति द्वारा स्वीकृति प्राप्त कार्यो का निरीक्षण, पर्यवेक्षण एवं समीक्षा की जायेगी** :–

| | |
|---|---|
| जिला कलक्टर | : अध्यक्ष |
| मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद | : सदस्य |
| कोषाधिकारी | : सदस्य |
| जिला संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग | : सदस्य सचिव |
| जिला उप निदेशक, कृषि | : सदस्य |

सम्बन्धित कार्यकारी एजेन्सी का प्रतिनिधि इस समिति में विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में उपस्थित रहेगा।

ii. राशि का नियमानुसार उपयोग किया जाना व योजना के क्रियान्वयन हेतु समुचित निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण करने हेतु जिला गोपालन समिति उत्तरदायी होंगी।

8. <u>सहायता राशि के भुगतान की प्रक्रिया</u> :–

i. निदेशालय गोपालन द्वारा प्राप्त प्रस्तावों को सक्षम स्तर से अनुमोदित कराने के उपरान्त सहायता राशि की प्रशासनिक स्वीकृति तत्पश्चात कार्यकारी संस्था को निर्माण कार्य हेतु वित्तीय स्वीकृति जारी की जायेगी।

ii. निदेशालय गोपालन द्वारा संबंधित कार्यकारी एजेन्सी को वित्तीय स्वीकृति अनुसार RTGS के माध्यम से राशि हस्तान्तरित की जायेगी।

iii. संबंधित कार्यकारी एजेन्सी द्वारा कार्य पूर्ण होने का प्रमाण पत्र व उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप **प्रपत्र–6** में प्राप्त कर जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष, जिला गोपालन समिति तथा निदेशलय गोपालन को प्रस्तुत करना होगा। साथ ही सम्बन्धित जिला कलक्टर द्वारा इकजाई उपयोगिता प्रमाण पत्र **प्रपत्र–7** में निदेशालय गोपालन को प्रेषित करने होंगे।

9. <u>योजना राशि का अवमोंचन (Release)</u> :–

i. योजनान्तर्गत सक्षम स्तर की स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात गोपालन विभाग द्वारा उपलब्ध बजट के आधार पर संबंधित कार्यकारी संस्था को वित्तीय स्वीकृति अनुसार राशि का आवंटन किया जायेगा।

ii. वित्तीय स्वीकृत राशि को दो किस्तों में दिया जायेगा। प्रथम किश्त (80 प्रतिशत) कार्य प्रारम्भ करने पर तथा द्वितीय किश्त (20 प्रतिशत) कार्य उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर दी जायेगी।

10. <u>सम्पतियों का ब्यौरा</u> :–

i. योजना से सृजित सम्पतियों का इन्द्राज हेतु सम्पति रजिस्टर सम्बन्धित कार्यकारी संस्था एवं संबंधित गौशाला में संधारित किया जायेगा, जिसमें निर्माण वर्ष, लागत, निर्माण का विवरण, पूर्णता की तिथि, राजकीय स्वीकृत राशि, व्यय राशि आदि का विवरण होगा।

ii. एक रजिस्टर निदेशालय गोपालन द्वारा भी संधारित किया जायेगा, जिसमें राज्य की समस्त गौशालाओं में सृजित सम्पतियों/निर्माण कार्यो का ब्यौरा अंकित होगा।

11. <u>अंकेक्षण एवं कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र</u> :–

i. योजना के अंतर्गत व्यय राशि एवं लेखा अभिलेखों का अंकेक्षण निदेशालय गोपालन के सहायक लेखाधिकारी द्वारा की जायेगी। अंकेक्षण रिपोर्ट निदेशालय गोपालन तथा राज्य सरकार को प्रेषित की जायेगी।

ii. कार्य समाप्ति पर स्वीकृत एवं व्यय राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र कार्यकारी संस्था द्वारा निदेशालय गोपालन को प्रस्तुत करना होगा।

शासन उप सचिव
गोपालन विभाग

क्रमांक :एफ.वी.4(5)निगो / प्लान / ब.घो. / गो.स.वि.यो. / 2018 / 9293-9455 दिनांक : 6.9.2018

**प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।**

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, मुख्यमंत्री कार्यालय, राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, गृह विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर।
3. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, सहकारिता एवं गोपालन, शासन सचिवालय, राज. जयपुर।
4. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, कृषि एवं पशुपालन विभाग, शासन सचिवालय, राज. जयपुर।
5. विशिष्ठ सहायक, माननीय राज्यमंत्री, गोपालन विभाग, शासन सचिवालय, राज. जयपुर।
6. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
7. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गोपालन विभाग, राजस्थान जयपुर।
8. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर।
9. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर।
10. निजी सचिव, अतिरक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राज. जयपुर।
11. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
12. निजी सचिव, शासन सचिव, आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग, राजस्थान जयपुर।
13. महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक, राजस्थान अजमेर।
14. समस्त सम्भागीय आयुक्त, .....
15. शासन उप सचिव, पशुपालन विभाग, राजस्थान जयपुर।
16. निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान जयपुर।
17. निदेशक, गोपालन विभाग, राजस्थान जयपुर।
18. निदेशक, पशुपालन विभाग, राज. जयपुर।
19. समस्त जिला कलक्टर्स, .....
20. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, .....
21. समस्त सम्भागीय अतिरिक्त निदेशक क्षेत्र, पशुपालन विभाग, .....
22. समस्त जिला कोषाधिकारी, .....
23. समस्त जिला संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, .....
24. समस्त जिला उप निदेशक, कृषि विभाग, .....

शासन उप सचिव
गोपालन विभाग

## गौशाला द्वारा गौशाला विकास योजना के अन्तर्गत निर्माण हेतु सहायता राशि प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र

श्रीमान निदेशक,
निदेशालय गोपालन, गोपालन विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

गौसंरक्षण एवं संवर्धन निधि नियम 2016 के अन्तर्गत गौशाला विकास योजना में निर्माण के लिए वित्तीय वर्ष 2018–19 में सहायता राशि हेतु गौशाला का विवरण निम्न प्रकार है :–

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | गौशाला का नाम व पूर्ण पता | | | |
| 2. | दूरभाष नम्बर (बेसिक/मोबाइल) तथा ई–मेल आई.डी. | | | |
| 3. | राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1958 या राजस्थान गौशाला अधिनियम, 1960 के अंतर्गत पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक **(छाया प्रति संलग्न करें)** | | | |
| 4. | बैंक का नाम, शाखा, पता, गौशाला का खाता संख्या, तथा बैंक की आई.एफ.एस.सी. कोड संख्या **(बैंक द्वारा सत्यापित एवं छायाप्रति)** | | | |
| 5. | कार्यकारी संस्था जिसके माध्यम से निर्माण कार्य करवाये जाने है **(सहमति पत्र व खाते का विवरण संलग्न करे)** | | | |
| 6. | निर्माण हेतु गुरू गोलवलकर जन सहभागिता योजना, मनरेगा, सांसद एवं विधायक कोष तथा अन्य राजकीय/केन्द्र सरकार के कार्यालय/संस्थान से स्वीकृत एवं प्राप्त सहायता राशि का विवरण। | निर्माण का नाम | मद | प्राप्त राशि (राशि रू. में) |
| | | | | |
| 7. | निर्माण कार्य का नाम, जिसके लिए सहायता राशि की आवश्यकता है :– | | | (राशि रू. में) |
| क्र.सं. | निर्माण कार्य का नाम | सहायता राशि की आवश्यकता तकमीना अनुसार कुल राशि | | |
| I. | शेड या गौवंश आवास निर्माण (Sq.F.) | | | |
| II. | चारा भण्डारगृह | | | |
| III. | पानी की खेली निर्माण | | | |
| IV. | चारा ठांण निर्माण | | | |
| V. | पानी की टंकी/टांका निर्माण | | | |
| VI. | बाड़े/शेड के अन्दर खरन्जा निर्माण (खड़ी ईटों का) | | | |
| VII. | गोपालक आवास गृह निर्माण | | | |
| | कुल राशि | | | |

मैं/हम ..... पद ..... यह घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त कॉलम संख्या 1 से 6 में वर्णित तथ्य/सूचना व अभिलेख मेरी निजी जानकारी अनुसार सत्य है तथा कोई तथ्य छिपाया गया नहीं है।

संलग्नक :

1. राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1958 या राजस्थान गौशाला अधिनियम, 1960 के अंतर्गत पंजीकरण प्रमाण पत्रों की छाया प्रतियां।
2. बैंक पास बुक की प्रथम तथा उस पृष्ठ की बैंक से प्रमाणित प्रति जिसमें IFSCकोड अंकित हो एवं रेखाकिंत चेक।
3. गौवंश संधारण रजिस्टर की हस्ताक्षरित प्रति।
4. कार्यकारी संस्था का सहमति पत्र व खाते का विवरण संलग्न करे।

दिनांक : .....
स्थान : .....

हस्ताक्षर आवेदनकर्ता
नाम
पद मय सील

## गौशाला विकास योजना के अन्तर्गत सहायता राशि के आवेदन के साथ संलग्न करने हेतु शपथ–पत्र

मैं ..... पुत्र/पुत्री .....धारित पद ..... उम्र ..... वर्ष,..... ..... निवासी ..... तहसील ..... जिला ..... (राज.) शपथ पूर्वक यह घोषणा करता हूं, कि:–

1. मेरी संस्था का नाम ..... है। इस संस्था का राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1958 के अंतर्गत पंजीयन क्रमांक ..... दिनांक ..... तथा राजस्थान गौशाला अधिनियम, 1960 के अंतर्गत पंजीयन क्रमांक ..... दिनांक ..... है।
2. मेरी गौशाला के संचालन का स्थान ..... तहसील ..... पंचायत समिति ..... जिला ..... है।
3. इस गौशाला का पिछले ..... वर्षों से संचालन हो रहा हैं। गौशाला में वर्तमान में ..... बड़े, .....छोटे कुल ..... गौवंश दो वर्ष से लगातार संधारित हैं।
4. मुझे ज्ञात है कि जिला कलक्ट्रेट/राज्य सरकार स्तर से गौशाला का किसी भी समय आकस्मिक निरीक्षण/विडियोग्राफी करवाई जा सकेगी।
5. मैं भलीभांति परिचित हूं कि आकस्मिक निरीक्षण/विडियोग्राफी के दौरान बताई गई पशु संख्या में यदि कमी/अनियमितता पायी जाती है तो मेरे व मेरी संस्था के विरूद्ध आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जा सकेगी।
6. मैं गौशाला के लिये आर्थिक सहायता की स्वीकृति के क्रम में गौसंरक्षण एवं संवर्धन निधि नियम 2016 तथा समय–समय पर जारी किये जाने वाले सभी दिशा–निर्देशों/शर्तों का पूर्णतः पालना करूंगा।
7. संस्था गौशाला में स्थितसमस्त गोवंश का निर्धारित रजिस्टर संधारित कर लिया है तथा पहचान हेतु प्रत्येक गौवंश पर दिशा–निर्देशानुसार टैग लगाया जा चुका है।
8. गौशाला की सूचना का आदन–प्रदान हेतु कम्प्यूटर एवं सूचना प्रोद्योगिकी की नवीन प्रणाली को अपनाने हेतु सहमत है।
9. गौशाला के पास ..... हेक्टेयर सिंचित/असिचित भूमि है जिसकी खातेदारी/गैर खातेदारी गौशाला के नाम है तथा ..... हेक्टेयर भूमि पर गौशाला का कब्जा है जिसकी किस्म..... ..... की है।
10. जिला प्रशासन द्वारा वध से बचाये गये गौवंश/कानून एवं व्यवस्था तथा जनसुविधा की दृष्टि से सुपुर्द गौवंश को अपनाने से गौशाला इन्कार नहीं करेगी।
11. राजकीय नवाचारों/प्रजनन सांड पंजीकरण एवं नकारा सांड/बछड़ा बधियाकरण कार्यक्रम को लागू करने के लिए सहमत है।
12. निदेशालय गोपालन द्वारा आवेदित निर्माण कार्य के लिए दी गयी वित्तीय सहायता का उपयोग गौशाला द्वारा उसी मद में एवं निदेशालय गोपालन द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किये जाने का वचन देता हूँ। उपरोक्त निर्माण कार्य में अथवा अन्य किसी भी प्रकार की अनियमितता/दण्ड की स्थिति में प्राप्त समस्त राशि का पुर्नभरण शासन को करने के प्रति गौशाला पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।
13. संस्था चिकित्सा की उचित व्यवस्था एवं मृत पशुओं का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण हेतु सहमत है।

**ह. शपथग्रहिता**

मैं ..... पुत्र/पुत्री .....धारित पद..... उम्र ..... निवासी ..... शपथपूर्वक बयान करता हूं कि मेरी जानकारी के अनुसार उपरोक्त क्रम संख्या 1 से 13 तक दिया गया सम्पूर्ण विवरण सत्य है। यदि इनमें से कोई भी तथ्य असत्य या गलत पाया जाता है तो उसके लिए मैं स्वयं उत्तरदायी रहूंगा।

**ह. शपथग्रहिता**

## गौशाला विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2018–19 में सहायता राशि हेतु गौशाला के आवेदन के सन्दर्भ में निरीक्षण का प्रारूप

निरीक्षण दिनांक .....

गौशाला द्वारा आवेदन की दिनांक .....

1. गौशाला का पूरा नाम एवं पता .....
2. गौशाला पंजीकरण क्रमांक ..... दिनांक .....
3. गौशाला में संधारित गौवंश का सत्यापन :–

| दिनांक | छोटे गौवंश (3 वर्ष से कम) | बड़े गौवंश (3 वर्ष या अधिक) | कुल गोवंश |
|---|---|---|---|
| | | | |

5. गौशाला में संधारित समस्त गौवंश की पहचान हेतु टैगिंग की हुई है या नहीं .....

6. टैग नम्बर के आधार पर रजिस्टर निर्धारित प्रपत्र (प्रपत्र–5) में संधारित है या नहीं .....

7. निरीक्षण/भौतिक सत्यापन के दौरान जानकारी में आई ऐसी कोई सूचना जो गौशाला विकास योजना के दिशा–निर्देशों में सहायता राशि स्वीकृत करने के निर्णय पर विपरीत प्रभाव डालती हो, का विवरणः–
   .....
   .....

हस्ताक्षर
गौशाला प्रतिनिधि

पद की मुहर
नाम .....
मोबाइल नं. .....

हस्ताक्षर
पशु चिकित्सक/तहसीलदार/नायब तहसीलदार/विकास अधिकारी

नाम .....
मोबाइल नं. .....

# कार्यालय निदेशालय गोपालन, राजस्थान, जयपुर

गौशाला का नाम.....

राशि रू. में

| क्रम संख्या | निर्माण कार्य का नाम | स्वीकृत राशि का विवरण | आवंटित राशि का विवरण |
|---|---|---|---|
| 1. | शेड या गौवंश आवास निर्माण | | |
| 2. | चारा भण्डारगृह | | |
| 3. | पानी की खेली निर्माण | | |
| 4. | चारा ठांण निर्माण | | |
| 5. | पानी की टंकी/टांका निर्माण | | |
| 6. | बाड़े/शेड के अन्दर खरन्जा निर्माण (खड़ी ईटों का) | | |
| 7. | गोपालक आवास गृह निर्माण | | |
| | कुल राशि | | |

नोट :–

1. स्वीकृत राशि का उपयोग राजस्थान गौसंवर्धन एवं संरक्षण निधि नियम 2016 तथा गौशाला विकास योजना द्वारा समय – समय पर जारी दिशा–निर्देशों के अन्तर्गत किया जायेगा।
2. प्रत्येक गौवंश की टैंगिंग एवं गौवंश संधारण रजिस्टर में टैग नम्बर के आधार पर प्रत्येक का इन्द्राज आवश्यक है।

निदेशक

प्रतिलिपि :– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष,जिला गोपालन समिति, .....।
2. कोषाधिकारी, जिला .....।
3. संबंधित गौशाला सचिव/प्रबन्धक।

निदेशक

(in Rs.)

| S.No | Constriction Works | Approximate Maximum Cost |
|---|---|---|
| 1. | Cow shed with interlocking tile flooring, AC Sheet Roof, Water Drain and Chara kheli of brick masonry Size : 50' X 33' | **10,00,000/-** |
| 2. | Chara Store of brick masonry with RCC roof and RCC Column / pillar ,Size : 20' X 15 ' X 15' | **4,20,000/-** |
| 3. | Chara Store of brick masonry with RCC roof and RCC Column / pillar ,Size : 30' X 60 ' X 21' | **9,90,000/-** |
| 4. | Water Kheli, brick masonry ,Size : 20' length X 5' Width X 1.5' Height from ground X 1.5 ' depth | **70,000/-** |
| 5. | Chara Kheli, brick masonry, Size : 20' length X 5' Width X 1.5' Height from ground X 1 ' depth | **70,000/-** |
| 6. | Underground Water Storage tank of 10,000 Lt. Capacity, brick masonry ,Size : 15' X 15' x depth 8' | **1,00,000/-** |
| 7. | Veterinary sub center with toilet, brick masonry with RCC roof,Size: 25' X 10' X 10' | **3,00,000/-** |
| 8. | Construction of singal Brick wall in shed Size: 10' X 10' | **10,000** |
| 9. | Wire fencing compound wall of 7' Height x 190' length Size : 70' X 30' | **50,000/-** |
| 10. | Gopalak Residential House with toilet brick masonry with RCC roof,Size: 25' X 10' X 10' | **3,00,000/-** |

# गोपालन विभाग राजस्थान जयपुर

## गौशालाओं में गौवंश रजिस्टर संधारण हेतु गौवंश की टैगिंग के लिए जिलों को आवंटित कोड

| क्र.सं. | जिले का नाम | जिले को आवंटित कोड |
|---|---|---|
| 1. | अजमेर | GP 01 |
| 2. | अलवर | GP 02 |
| 3. | बांसवाडा | GP 03 |
| 4. | बारां | GP 04 |
| 5. | बाडमेर | GP 05 |
| 6. | भरतपुर | GP 06 |
| 7. | भीलवाडा | GP 07 |
| 8. | बीकानेर | GP 08 |
| 9. | बूंदी | GP 09 |
| 10. | चित्तौड़गढ़ | GP 10 |
| 11. | चूरू | GP 11 |
| 12. | दौसा | GP 12 |
| 13. | धौलपुर | GP 13 |
| 14. | डूंगरपुर | GP 14 |
| 15. | हनुमानगढ़ | GP 15 |
| 16. | जयपुर | GP 16 |
| 17. | जैसलमेर | GP 17 |
| 18. | जालौर | GP 18 |
| 19. | झालावाड | GP 19 |
| 20. | झुन्झुनूं | GP 20 |
| 21. | जोधपुर | GP 21 |
| 22. | करौली | GP 22 |
| 23. | कोटा | GP 23 |
| 24. | नागौर | GP 24 |
| 25. | कुचामनसिटी | GP 24 A |
| 26. | पाली | GP 25 |
| 27. | प्रतापगढ़ | GP 26 |
| 28. | राजसमन्द | GP 27 |
| 29. | सवाई माधोपुर | GP 28 |
| 30. | सीकर | GP 29 |
| 31. | सिरोही | GP 30 |
| 32. | श्रीगंगानगर | GP 31 |
| 33. | टोंक | GP 32 |
| 34. | उदयपुर | GP 33 |

# गौशाला में टैग नम्बरअनुसार गौवंश संधारण का रजिस्टर

गौशाला का नाम व पता :– ..... पंजीयन क्रमांक/दिनांक.....

| क्र.सं. | आवक की दिनांक | टैग क्रमांक | टैग का रंग | गौवंश का विवरण | | | | | स्वास्थ्य का विवरण | मृत्यु/स्थानान्तरण/दान/विक्रय या अन्य कारण जिससे निकास हुआ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | नस्ल | आयु (01.1.2018) | नर/मादा | गौवंश का रंग | पहचान चिन्ह | अन्धा/विकलांग/बीमार | निकास की दिनांक | कारण |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

हस्ताक्षर
प्रबन्धक/सचिव

नोट :–

1. संस्था द्वारा संधारित प्रत्येक गौवंश की पहचान हेतु टैग लगाना अनिवार्य होगा। प्रत्येक गौवंश का नम्बर **एक ही** अर्थात uniqueहोगा।
2. दुधारू गाय की टैगिंग राजस्थान पशुधन विकास बोर्ड द्वारा निर्धारित 12 डिजिट का टैग INAPH केअनुसार किया जायेगा।
3. संधारित गौवंश पर यदि टैग पहले से ही लगा हुआ हो तो उस टैग नं. के आधार पर संबंधित गौवंश का इन्द्राज उक्त निर्धारित रजिस्टर (प्रपत्र–5) में गौशाला प्रबन्धन द्वारा सुनिश्चित करना होगा, यदि गौवंश का टैग नहीं लगा हुआ है तो एकरूपता की दृष्टि से निम्न प्रकार टैग नम्बर अंकित किया जायेगा :–
   टैग पर प्रथमतः जिले का कोड/द्वितीय–ग्राम का कोड/तृतीय–गौशाला का कोड एवं गौवंश का रजिस्टर क्रमांक अंकित होगा। गौशाला का कोड जिला संयुक्त निदेशक, पशुपालन विभाग द्वारा गौशालाओं के नाम के प्रथम अक्षर के आधार पर अंग्रेजी वर्णमाला (Alphabetical) के अनुसार जिला स्तर पर निर्धारित कर गौशालाओं को अवगत कराया जायेगा। गौवंश का क्रमांक गौशाला में संधारित रजिस्टर के आधार पर गौशाला प्रबन्धन द्वारा स्वयं के स्तर पर निर्धारित किया जायेगा।

( कार्यकारी संस्था द्वारा निदेशक गोपालन, निदेशालय गोपालन, राजस्थान जयपुर को प्रेषित करना है)

क्रमांक :–..... दिनांक :–.....

## उपयोगिता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि निदेशक गोपालन के द्वारा स्वीकृति क्रमांक ..... दिनांक ..... द्वारा उपलब्ध कराई गई राशि रूपये ..... के विरूद्ध राशि रूपये ..... का **गौशाला विकास योजना के अन्तर्गत** जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार उपयोग कर लिया गया है। उक्त राशि के क्रय एवं भुगतान तथा उपयोग से संबंधित पंजिकाएं एवं अभिलेख कार्यालय में नियमानुसार संधारित एवं सुरक्षित है।

शेष राशि रूपये ..... का चालान/डीडी संख्या ..... दिनांक ..... संलग्न किया जा रहा है।

**हस्ताक्षर**

मूल प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष, जिला गोपालन समिति, .....।

**हस्ताक्षर**

(निदेशालय गोपालन में प्रेषित करना है)

कार्यालय जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष जिला गोपालन समिति.....

क्रमांक ..... दिनांक .....

## उपयोगिता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि निदेशालय गोपालन राजस्थान जयपुर के द्वारा स्वीकृति क्रमांक ..... दिनांक ..... द्वारा **गौशाला विकास योजना** के अन्तर्गत गौशालाओं में स्थायी परिसम्पतियों के निर्माण हेतु आवंटित की गई सहायता बजट राशि रूपये ..... के विरूद्ध राशि रूपये ..... का उपयोग **गौशाला विकास योजना** के अन्तर्गत जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार कर लिया गया है। उपयोग की गई उक्त राशि जिले की गौशालाओं/कार्यकारी संस्था से प्राप्त प्रमाणित उपयोगिता प्रमाण पत्रों के आधार पर है।

गौशाला को स्वीकृत एवं दी गई सहायता राशि से संबंधित अभिलेख एवं पत्रावलियां आदि गौशालाओं एवं कार्यकारी संस्था के कार्यालय में अंकेक्षण एवं रिकार्ड की दृष्टि से सुरक्षित रखी हुई है।

जिला कलक्टर एवं
अध्यक्ष जिला गोपालन समिति

क्रमांक ..... दिनांक .....

**प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–**

1. निदेशक गोपालन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. कार्यालय प्रति।

जिला कलक्टर एवं
अध्यक्ष जिला गोपालन समिति